सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2021-2022)

सत्रहवीं लोक सभा

57

सत्तावनवाँ प्रतिवेदन

[जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर की वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब।]

(15.12.2021को प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
दिसंबर, 2021 / अग्रहायण,1943 (शक)

विषय सूची पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की संरचना		**(iii)**
प्राक्कथन		**(v)**
प्रतिवेदन		
जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर की वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब।।		1
अनुबंध		
एक	वर्ष 2016-2017 से 2020-2021 के लिए पीआरसी (मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय), उदयपुर को भारत सरकार द्वारा जारी की गयी वर्ष-वार निधियों को दर्शाने वाला विवरण ।	12
दो	वर्ष 2016-2017 से 2019-2020 के लिए पीआरसी (मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय), उदयपुर की वार्षिक रिपोर्टों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने की तारीखें दर्शाने वाला विवरण	13
तीन	वर्ष 2016-2017 से 2019-2020 के लिए पीआरसी (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर के वार्षिक रिपोर्टों और लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने के प्रत्येक चरण में लिए गए वास्तविक समय के कालानुक्रम को दर्शाने वाला विवरण।	14
परिशिष्ट		
एक	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2020-2021) की 20.07.2021 को हुई **आठवीं** बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	17
दो	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की 06.12.2021 को हुई दूसरी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण	20

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का गठन
(2021-2022)

सभापति

श्री रितेश पांडेय

सदस्य

2. डॉ शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री मारगनी भरत
4. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
5. श्री पल्लव लोचन दास
6. श्री चौधरी मोहन जटुआ
7. अली केसर महबूब चौधरी
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. श्री टी.एन. प्रथापन
13. श्री एस. रामलिंगम
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	श्रीमती बी. विसाला	-	निदेशक
3.	श्री मुनीष कुमार रेवाड़ी	-	अपर निदेशक
4.	श्रीमती मनजिंदर पब्बी	-	अवर सचिव
5.	श्री कुंदन कुमार	-	समिति अधिकारी
6.	श्री दर्पण शर्मा	-	सहायक समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) का सभापति, समिति द्वारा इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुआ विलंब के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब से संबंधित समिति का यह सत्तावनवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 08 मार्च, 1976; 12 मई, 1976 और 22 दिसम्बर, 1977 के क्रमश: पहले प्रतिवेदन, दूसरे प्रतिवेदन (पाँचवी लोक सभा) और दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिश के संदर्भ में संगठन/कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

3. समिति ने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने में हुई देरी के मामले पर विचार किया और इस संबंध में 24.03.2021 को आयोजित बैठक में युवा मामले और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिये।

4. समित ने 06.12.2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति लिखित उत्तरो, अन्य सामग्री/ जानकारी को प्रस्तुत करने और समिति के समक्ष अपने विचार रखने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) के अधिकारिओ के प्रति अपना धन्यवाद करना चाहती है ।

6. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित कराया गया है।

नई दिल्ली
09 दिसंबर, 2021
18 अग्रहायण, 1943(शक)

रितेश पांडेय
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

प्रतिवेदन

जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर की वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब।

जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (पीआरसी) की स्थापना मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के कैम्पस में वर्ष 1981 में की गई थी। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, जन स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों, परिवार कल्याण इत्यादि से संबंधित अध्ययन संचालित करना है। पीआरसी, उदयपुर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, एमसीएच, आरसीएच, एनएचएम से संबंधित विभिन्न अनुसंधान तथा कार्य अनुसंधान परियोजनाओं और जनसंख्यिकी आयामों और नीतिगत निहितार्थों पर कार्य करता रहा है।

2. अधिनियम, नियम अथवा विनियम जिनके तहत पीआरसी,उदयपुर, के कागजात सभा पटल पर रखे जा रहे हैं, के प्रश्न के संबंध में, मंत्रालय ने बताया कि इन्हें सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 के नियम 242(2)(iv)(क और ग) के अनुसार सभा पटल पर रखा जा रहा है ।

3. इसके अतिरिक्त, पीआरसी, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने हेतु समय के प्रावधान के प्रश्न के संबंध में, मंत्रालय ने बताया कि यह सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 के नियम 237 द्वारा शासित होता है ।

4. सरकार द्वारा संगठन के वित्तपोषण करने की विधि के बारे में प्रश्न के संबंध में, मंत्रालय ने अपने उत्तर में निम्नवत बताया था : -

"पीआरसी केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है, जहां स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय इसे वेतन, भत्ते,अनुमोदित अनुसंधान अध्ययनों, अवसंरचना विकास, अनावर्ती-व्यय और अन्य कार्यालय व्यय (ओई)/अन्य प्रशासनिक व्यय (ओएई), निर्माणों, मरम्मतों तथा अनुरक्षण, कार्यालय फर्नीचर, उपस्करों,

कंप्यूटरों, सॉफ्टवेयर की खरीद, कार्यशालाओं / सेमिनारों आदि जैसे विभिन्न क्रियाकलापों पर होने वाले समस्त व्यय को पूरा करने के लिए 100% सहायता -अनुदान उपलब्ध कराता है। "

समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि भारत सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में जारी की गई वर्ष-वार निधियों का ब्यौरा दें, मंत्रालय ने जो सूचना दी है वह **अनुबंध-1** पर विवरण में दिया गया है ।

5. समिति ने 08 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत अपने पहले प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) में इस बात पर बल दिया था कि स्वायत्त संगठनों द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखाओं और समीक्षा विवरणों संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, यह प्रशासनिक मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वह संगठन के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे। तथापि, यदि किसी कारण से, वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे नौ माह की निर्धारित समयावधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाते हैं, तो संबंधित मंत्रालय उक्त अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर या सभा की बैठक होते ही,जो भी बाद में हो, दस्तावेजों को समय पर न रखे जाने का कारण बताते हुए, एक विवरण सभा पटल पर रखना चाहिए।

6. स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग) द्वारा वर्ष 2016-2017 से 2019-2020 के लिए पीआरसी, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे 02 महीने से 09 महीने (लगभग) के विलंब से सभा पटल पर रखे गए थे।

पीआरसी, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों के साथ-साथ विलंब की सीमा को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-2** में दिया गया है।

7. समिति द्वारा पीआरसी, उदयपुर की वर्ष 2016-2017 से 2019-2020 के लिए वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि उन्होंने वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए " विलम्ब के विवरण" संसद के समक्ष उन वर्षों में विलम्ब के कारणों के निम्नलिखित कालक्रम के साथ सभा पटल पर रख दिये थे :-

2016-17

"सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) की विषय- वस्तु के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन में इस मंत्रालय के पी एंड एओ द्वारा स्वीकार किए गए लेखा परीक्षित लेखाओं का ब्योरा शामिल होगा । जीएफआर 2017 की विषय-वस्तु और उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) के प्रारूप में में कुछ बदलाव के कारण पीआरसी से लेखा परीक्षित लेखाओं के साथ उनके वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करने में विलंब हुआ।

सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद स्वीकृत लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ वार्षिक प्रतिवेदन जनवरी 2018 के पहले सप्ताह में अंतिम रूप से तैयार हो गई थी।"

2017-18

"सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) की विषय- वस्तु के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन में इस मंत्रालय के पी एंड एओ द्वारा स्वीकार किए गए लेखा परीक्षित लेखाओं का ब्योरा शामिल होगा । उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) में कुछ स्पष्टीकरण के कारण लेखा परीक्षित लेखाओं के साथ उनकी वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करने में विलंब हुआ।

सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद स्वीकृत लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ वार्षिक प्रतिवेदन जुलाई 2019 के पहले सप्ताह में अंतिम रूप से तैयार हो गई थी।"

2018-19

क्रम. सं.	*गतिविधियां*	*दिनांक*
1	*उनके लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा पूरा किया जाना*	*08 नवम्बर 2019*
2	*स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रश्नों/स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद वर्ष 2018-19 के लिए निपटान किए गए लेखा-परीक्षित लेखे*	*19 फरवरी 2020*
3	*स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्राप्त किए गए वार्षिक प्रतिवेदन*	*17 मार्च 2020*

मंत्रालय द्वारा यथा प्रस्तुत वर्ष 2019-20 के लिए विलंब के कारण निम्नवत है:

"पीआरसी, उदयपुर ने 31 मार्च, 2021 को उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा है, परंतु लेखा परीक्षित उपयोगितमा प्र प्रमाण-पत्र में कुछ टिप्पणियों/असंगतियोंके कारण इसका पहले निपटान नहीं किया जा सका और इसमें आगे सुधार हेतु अनुरोध किया ।अतः दिनांक 23 जून, 2021 को उपयोगिता प्रमाण-पत्र का निपटान हो गया है (अनुबंध-तीन) 1पीआरसी, उदयपुर से वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 द्विभाषी रूप (हिंदी और अंग्रेजी) में भेजने का अनुरोध किया गया है।

8. समिति ने यह भी पूछा कि क्या मंत्रालय इस बात से सहमत है कि दस्तावेजों को रखने में विलंब से संकेत मिलता है कि संसद के समक्ष कागजात को समय पर सभा पटल पर रखने को उचित महत्व नहीं दिया गया और इस बात को सरसरी तौर पर लिया गया। मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि:-

"हर वर्ष , मंत्रालय पहली तिमाही के दौरान (...) पत्र जारी करता है जिसमें पीआरसी को समय-सीमा का पालन करने का निर्देश दिया जाता है ताकि वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को संसद के समक्ष समय पर रखा जा सके। सभी पीआरसी मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हैं, हालांकि, कभी-कभी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण प्रक्रियात्मक देरी होती है।

मंत्रालय द्वारा कई बार पीआरसी, उदयपुर के साथ मामला उठाया गया है। कई अनुस्मारक पीआरसी, उदयपुर को ई-मेल के माध्यम से भेजे गए थे, हालांकि, पीआरसी, उदयपुर में अपरिहार्य परिस्थितियों (कर्मचारियों की कमी) के कारण, वे समय पर आवश्यक दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत नहीं कर सके। 2020 के दौरान कोविड महामारी के कारण 2019-20 के लेखापरीक्षित यूसी को जमा करने में भी देरी हुई।"

9. मंत्रालय को आवश्यक दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जो कि लेखा परीक्षकों से संपर्क करने से लेकर पीआरसी, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को संसद के समक्ष, वर्ष 2016-2017 से 2019 -2020 के लिए प्रस्तुत करने के लिए है। पीआरसी उदयपुर और मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत विभिन्न चरणों में लिए गए वास्तविक समय के कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाने वाली जानकारी अनुबंध-तीन में दी गई है।

10. समिति ने जानना चाहा कि क्या मंत्रालय/संस्थान ने उन चरणों की पहचान की है जिनमें इन सभी वर्षों के दौरान विलंब हुआ है और यदि हां, तो मंत्रालय ने भविष्य में इसे कम करने का प्रस्ताव कैसे किया। मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा कि: -

"लेखा परीक्षित लेखाओं और संबंधित प्रश्नों के उत्तरों की प्राप्ति न होने के कारण देरी हुई। पीआरसी, उदयपुर को समय पर लेखा लेखापरीक्षा पूरा करने का निर्देश दिया गया है और इसकी निगरानी मंत्रालय द्वारा की जाती है। लेकिन स्टाफ की कमी के कारण यूसी में देरी हो रही है।

मंत्रालय पीआरसी उदयपुर में रिक्तियों को भरने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।"

11. समिति ने यह भी जानना चाहा कि क्या इन वर्षों के दौरान संस्थान के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उद्देश्य से लेखापरीक्षकों की नियुक्ति में कोई विलम्ब हुआ है। मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा कि:-

"नहीं। पीआरसी के लेखाओं की लेखा परीक्षा संबंधित पीआरसी/मेजबान विश्वविद्यालयों द्वारा सीए की नियुक्ति के द्वारा की जाती है।"

12. समिति ने जानना चाहा कि मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा के मुद्दे और लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की बाद में समय पर प्राप्ति को किस प्रकार निपटाया गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि:-

"पीआरसी उन विश्वविद्यालय/संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं जहां वे स्थित हैं। पीआरसी के लेखाओं की लेखा परीक्षा संबंधित पीआरसी/मेजबान विश्वविद्यालयों द्वारा सीए की नियुक्ति के द्वारा की जाती है।

हर साल, मंत्रालय पहली तिमाही के दौरान पीआरसी को समय-सीमा का पालन करने का निर्देश देता है ताकि वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को संसद के समक्ष समय पर रखा जा सके।

मंत्रालय द्वारा कई बार पीआरसी के साथ मामला उठाया जाता है। पीआरसी को समय पर पूरा करने के लिए कई अनुस्मारक ई-मेल के माध्यम से भेजे जाते हैं।"

13. समिति ने यह भी जानना चाहा कि क्या संस्थान के दस्तावेजों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की बैठक बुलाने में कोई प्रक्रियात्मक कठिनाइयाँ थीं। मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा कि:-

“बैठकें एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा नहीं की गईं।सभी कार्य पीआरसी/मेज़बान विश्वविद्यालय स्तर पर किए गए ।"

14. इस प्रश्न पर कि क्या पीआरसी, उदयपुर के लेखाओं के त्वरित और समय पर संकलन की सुविधा के लिए लेखांकन की प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया गया था, मंत्रालय ने बताया कि: -

"नहीं। लेखाओं को मैन्युअल रूप से तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।
मंत्रालय विभिन्न कार्यालय उपकरण, लैपटॉप और कंप्यूटर आदि खरीदने के लिए धन जारी करने की प्रक्रिया में है ताकि पीआरसी के काम में सुधार किया जा सके।"

15. तत्पश्चात , समिति ने पूछताछ की कि क्या संस्थान के पास लेखाओं के समय पर संकलन सुनिश्चित करने और लेखा परीक्षा के समय लेखापरीक्षा प्रश्नों को कम करने के लिए कोई आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र था। उत्तर में मंत्रालय ने कहा कि:-

"हाँ, विश्वविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय चार्टर्ड एकाउंटेंट के माध्यम से अपनी संघटक इकाई का आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करता है।"

16. मंत्रालय से यह भी पूछा गया था कि क्या संस्थान/मंत्रालय द्वारा वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने में शामिल प्रत्येक चरण में कार्य को पूरा करने के लिए मानक समय दर्शाते हुए कोई समय सारिणी निर्धारित की गई थी। इसके उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि:-

"हां, मंत्रालय को सूचना प्रस्तुत करने के लिए केंद्र की वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित व्यय विवरण तैयार करने के लिए समय सारिणी निर्धारित की गई है और संगठन को उपलब्ध कराई गई है।

हर वर्ष , मंत्रालय पहली तिमाही के दौरान पीआरसी को समय-सीमा का पालन करने का निर्देश देता है ताकि वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को संसद के समक्ष समय पर रखा जा सके।"

17. यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय में दस्तावेजों को समय पर रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए कोई तंत्र है, मंत्रालय ने बताया कि: -

"पहली तिमाही के दौरान पीआरसी को समय-सीमा का पालन करने के लिए पत्र जारी करने के क्रम में, एमओएचएफडब्ल्यू नियमित रूप से पीआरसी को पत्र, ई-मेल आदि के माध्यम से अनुस्मारक भेजता है।"

18. समिति इस बात से अवगत होना चाहती थी कि क्या भविष्य में लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर संसद के समक्ष दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय/संस्थान द्वारा कोई उपचारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है। मंत्रालय ने बताया कि: -

"पहली तिमाही के दौरान पीआरसी को समय-सीमा का पालन करने के लिए पत्र जारी करने के क्रम में, एमओएचएफडब्ल्यू नियमित रूप से पीआरसी को पत्र, ई-मेल आदि के माध्यम से अनुस्मारक भेजता है।"

19. अधिदेश के हिस्से के रूप में, समिति ने वर्ष 2016-2017 से 2019-2020 के लिए पीआरसी, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को पटल पर रखने में विलंब पर विचार करने के लिए 20 जुलाई, 2021 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) और जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (पीआरसी), उदयपुर के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

20. साक्ष्य के दौरान, सचिव ने विलंब के कारणों में से एक के रूप में समर्पित कर्मचारियों की कमी की गणना की। पीआरसी, उदयपुर के प्रतिनिधि ने भी प्रस्तुत किया कि: -
"... उन उपयोगिता प्रमाणपत्रों में त्रुटियाँ हुई हैं और उन्हें कई बार सुधारना पड़ा..."
"... हम बहुत विनम्रता से आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसमें कोई देरी नहीं होगी और हम सभी समयसीमा का पालन करेंगे।"

टिप्पणियां / सिफारिशें

21. जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (पीआरसी), उदयपुर के वर्ष 2016-2017 से 2019-2020* के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं की जांच से समिति यह पाती है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) द्वारा इन वर्षों के लिए पीआरसी, उदयपुर के आवश्यक दस्तावेज संबंधित वर्ष (वर्षों) की 31 दिसंबर की निर्धारित तिथि की तुलना में 02 माह से 08 माह (लगभग) तक के विलंब से सभा पटल पर रखे गए हैं।

समिति पिछले चार वर्षों में इस तरह के बार-बार होने वाले विलंब को गंभीरता से लेती है और सिफारिश करती है कि मंत्रालय और पीआरसी, उदयपुर को विलंब की इस आवर्ती अवधि को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में पीआरसी, उदयपुर के आवश्यक दस्तावेज समय पर संसद के समक्ष रखे जाएं।

22. समिति यह भी पाती है कि पीआरसी एक अनूठा मामला है, जिसमें एक ओर, केंद्र द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) के माध्यम से इन पीआरसी को निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं, वहीं दूसरी ओर, इन पीआरसी का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित मेजबान विश्वविद्यालयों के पास है और इन पीआरसी के कामकाज में मंत्रालय का बहुत दखल नहीं है।

समिति का यह मत है कि इस अनूठी प्रशासनिक व्यवस्था के बावजूद, मंत्रालय को सभी पीआरसी को अगले वर्ष के लिए अनुदान जारी करते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष के आवश्यक दस्तावेज पहले ही मंत्रालय को समय पर उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

23. समिति यह भी नोट करती है कि पीआरसी, उदयपुर सहित सभी पीआरसी के लेखाओं की लेखापरीक्षा संबंधित मेजबान विश्वविद्यालय के एक निजी लेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, न कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षकों द्वारा। मंत्रालय ने बताया है कि तत्पश्चात उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) और लेखाओं को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) को भेजा जाता है। इन लेखापरीक्षित लेखाओं की मंत्रालय में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा आगे लेखापरीक्षा की जाती है।

वर्ष 2020-2021 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेख 03.12.2021 को संसद के समक्ष रखे गए।

समिति सिफारिश करती है कि उन सभी वर्षों के लिए जिनके लिए पीआरसी, उदयपुर सहित सभी पीआरसी के लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद के समक्ष नहीं रखा गया था, सीएजी के लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र यथाशीघ्र संसद के समक्ष रखे जाने चाहिए।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि तत्काल प्रभाव से और सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, सभी पीआरसी के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की जानी चाहिए और सभी पीआरसी के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को अलग-अलग से संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। ।

24. समिति को यह भी बताया गया था कि विलंब का एक अन्य कारण पीआरसी, उदयपुर में लेखाओं से संबंधित मामलों को देखने के लिए समर्पित कर्मचारियों की कमी थी और यह कि सभी निकायों / संस्थाओं / पीआरसी आदि का भर्ती प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को उनके अनुमोदन के लिए भेजा गया था। समिति, मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि संस्थान को तत्काल आधार पर पर्याप्त जनशक्ति प्रदान की जाए, ताकि लेखाओं को समय पर संकलित किया जा सके और लेखापरीक्षा प्राधिकारियों को सौंपा जा सके।

समिति यह जानकर भी हैरान है कि देश भर में 18 पीआरसी में से केवल पीआरसी, उदयपुर के लेखे अभी भी मैन्युअल रूप से तैयार और प्रस्तुत किए जा रहे हैं। समिति का मत है कि लेखाओं के संकलन और लेखापरीक्षकों को प्रस्तुत करने में इतना लंबा समय लेने का यह भी एक कारण रहा है। समिति सिफारिश करती है कि पीआरसी, उदयपुर को अन्य 17 पीआरसी द्वारा की जा रही डिजिटल लेखा प्रणाली अपनानी चाहिए, क्योंकि इससे खातों के मैन्युअल रूप से संकलन के दौरान समय की बचत हो सकती है।

25. मंत्रालय द्वारा समिति को यह बताया गया है कि उसने संस्थान को नियमित अनुस्मारक के माध्यम से और लेखाओं के निपटान के संबंध में उन्हें उपकरण और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करा कर आवश्यक दस्तावेजों को समय पर सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं। तथापि, लगातार हो रहा विलंब स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस संबंध में मंत्रालय की ओर से अधिक समेकित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

इसलिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मंत्रालय, संस्थान को समय-सीमा का पालन करने के लिए याद दिलाने वाले पत्र भेजने के अलावा, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए संस्थान के साथ नियमित बैठकें भी करेगा और पीआरसी, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने में सम्मिलित प्रत्येक चरण के लिए फिर से समय-सारणी तैयार करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लक्षित तिथियों का अनुपालन हो सके और आवश्यक दस्तावेज समय से सभा पटल पर रखे जाएं।

नई दिल्ली
06 दिसंबर, 2021
15 अग्रहायण, 1943(शक)

रितेश पांडेय
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

अनुबंध -एक

देखिये रिपोर्ट का पैरा 04

वर्ष 2016-2017 से 2020-2021 के लिए पीआरसी (मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय), उदयपुर को भारत सरकार द्वारा जारी की गयी वर्ष-वार निधियों को दर्शाने वाला विवरण ।

क्रमांक	वर्ष	आवर्ती	अनावर्ती	जोड़
1	2016-17	5787000	84400	5871400
2	2017-18	3002529	84400	3086929
3	2018-19	1331000	84400	1415400
4	2019-20	2148000	0	2148000
5	2020-21	1398241	0	1398241

अनुबंध -दो

देखिये रिपोर्ट का पैरा 06

वर्ष 2016-2017 से 2019-2020 के लिए पीआरसी (मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय), उदयपुर की वार्षिक रिपोर्टों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने की तारीखें दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने की अपेक्षित तारीख	वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने की वास्तविक तारीख	विलंब की अवधि (लगभग)
2016-2017	31.12.2017	09.03.2018	02 माह 9 दिन
2017-2018	31.12.2018	26.07.2019	06 माह 26 दिन
2018-2019	31.12.2019	18.09.2020	08 माह 18 दिन
2019-2020*	31.12.2020	06.08.2021	07 माह 06 दिन

वर्ष 2020-2021 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेख 03.12.2021 को संसद के समक्ष रखे गए।

अनुबंध -तीन

देखिये रिपोर्ट का पैरा 09

वर्ष 2016-2017 **से** 2019-2020 **के लिए पीआरसी (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर के वार्षिक रिपोर्टों और लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने के प्रत्येक चरण में लिए गए वास्तविक समय के कालानुक्रम को दर्शाने वाला विवरण।**

उप-प्रश्न	बिंदु	वर्ष			
		2016-17	**2017-18**	**2018-19**	**2019-2020**
7(i)	लेखा परीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क की तिथि	4.8.2017	30.7.2018	4.8.2019	23.12.2020
	लेखांकन वर्ष समाप्त होने के उपरांत लिया गया समय	4 माह 03 दिन	3 माह 29 दिन	4 माह 03 दिन	8 माह 22 दिन
7(ii)	सांविधिकलेखा परीक्षकों की नियुक्ति की तिथि	विश्वविद्यालय का सी.ए.			
	लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए लेखा परीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क करने के बाद लिया गया समय	विश्वविद्यालय का सी.ए.			
7(iii)	वार्षिकलेखो के संकलन की तिथि	25.7.2017	22.7.2018	25.7.2019	20.12.2020
	लेखांकन वर्ष समाप्त होने के उपरांत लिया गया समय	3 माह 24 दिन	3 माह 21 दिन	3 माह 24 दिन	8 माह 19 दिन
7(iv)	लेखापरीक्षकों को वार्षिक लेखाप्रस्तुत करने की तिथि	12.8.2017	02.8.2018	12.8.2019	28.12.2020
	संबंधित लेखाकंन वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय	4 माह 11 दिन	4 माह 01 दिन	4 माह 11 दिन	8 माह 27 दिन
7(v)	सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखो की लेखा परीक्षा के लिए तिथि और अवधि	20.8.2017 और 8 दिन	10.8.2018 और 8 दिन	17.8.2019 और 5 दिन	30.12.2020 और 2 दिन
7(vi)	लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान/ वार्षिक लेखो के पूर्ण होने के उपरांत उठाए गए प्रश्नों की तिथि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान/ वार्षिक लेखो के पूर्ण होने के उपरांत लेखा प्राधिकारियों के उठाए गए प्रश्नों में लिया गया समय।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

उप-प्रश्न	बिंदु	वर्ष			
		2016-17	**2017-18**	**2018-19**	**2019-2020**
7(vii)	वह तिथि जब लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षा संबंधी प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत किए गए।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रश्नों के समाधान में लिया गया समय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7(viii)	लेखा परीक्षाप्राधिकारियों द्वारा मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने की तिथि	20.8.2017	11.8.2018	17.8.2019	04.1.2021
	वार्षिक लेखो की लेखा परीक्षा के उपरांत लिया गया समय	0 दिन	1 दिन	0 दिन	5 दिन
7(ix)	पीआरसी द्वारा अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने की तिथि।	21.8.2017	11.8.2018	30.8.2019/8.11.2019 (संशोधित)	5.1.2021
	मसौदा रिपोर्ट जारी होने के बाद लिया गया समय	1 दिन	0 दिन	13 दिन	1 दिन
77(x)	लेखा परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा वार्षिक लेखो की प्राप्ति के उपरांत से लेकर संगठन को अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक लिया गया कुल समय	9 दिन	9 दिन	18 दिन	8 दिन
7(xi)	वार्षिकरिपोर्ट को अतिंम रूप देने की तिथि	28.10.2017	20.09.2018	15.2.2020	#
	वित्त वर्ष समाप्त होने के उपरांत लिया गया समय, तथा	6 माह 27 दिन	5 माह 19 दिन	10 माह 14 दिन	
	अंतिमलेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत लिया गया समय	2 माह 7 दिन	1 माह 9 दिन	5 माह 16 दिन	
7(xii)	सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजों का अनुमोदन कराने की तिथि।	05.11.2017	25.9.2018 (बिना निश्चित यूसी के)	20.2.2020	
	वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद लिया गया समय	8 दिन	5 दिन	5 दिन	
	अंतिम लेखापरीक्षारिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया गया समय	2 माह 15 दिन	1 माह 14 दिन	5 माह 21 दिन	

उप-प्रश्न	बिंदु	वर्ष			
		2016-17	**2017-18**	**2018-19**	**2019-2020**
7(xiii)	वह तिथि जिस पर दस्तावेजों का अनुवाद और मुद्रण शुरू हुआ।	10.11.2017	26.9.2018	21.2.2020	
	प्रत्येक चरण पर कार्य पूरा करने के लिए लिया गया समय	20 दिन	22 दिन	20 दिन	
7(xiv)	प्रत्येक चरण पर कार्य पूरा होने के बाद सदन के समक्ष दस्तावेज रखे जाने के लिए मंत्रालय को दस्तावेज भेजने की तिथि।	08.12.2017	22.10.2018	17.3.2020	
	संगठनों द्वारा मंत्रालय को दस्तावेज भेजने के लिए लिया गया समय।	8 दिन	4 दिन	5 दिन	
7(xv)	सदन में दस्तावेज रखने की तिथि।	09.03.2018	26.07.2019	18.9.2020	
	संगठन से दस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत लिया गया समय	3 माह 1 दिन*	9 माह 4 दिन**	6 माह 01 दिन***	

*2016-17 के लिए : सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 की विषय-वस्तु के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट में इस मंत्रालय के पी एवं एओ द्वारा स्वीकृत अंकेक्षित लेखांकन ब्यौरा होगा।जीएफआर, 2017 की विषय-वस्तु और उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रपत्र में कुछ परिवर्तन होने के कारण पीआरसी से अंकेक्षित लेखे और उनकी वार्षिक रिपोर्ट मिलने में विलंब हुआ था।वार्षिक रिपोर्ट और स्वीकृत अंकेक्षित लेखे सभी अनिवार्य औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत जनवरी 2018 के पहले सप्ताह में पूरी तरह से तैयार हुए थे।

**2017-18 के लिए:सामान्य वित्तीय नियमावी (जीएफआर) 2017 की विषय-वस्तु के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट में इस मंत्रालय के पी एवं एओ द्वारा स्वीकृत लेखांकन ब्यौरा होगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) में आवश्यक कुछ स्पष्टीकरण के कारण लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ उनकी वार्षिक रिपोर्ट मिलने में विलंब हुआ था।वार्षिक रिपोर्ट और स्वीकृत अंकेक्षित लेखे सभी अनिवार्य औपचारिकताएं पूरा करने के बाद जुलाई 2019 के पहले सप्ताह में तैयार हुए थे।

***2018-19 के लिए: संशोधित लेखापरीक्षित लेखे 8 नवंबर, 2019 को प्राप्त हुए।सभी प्रश्नों के समाधानो के बाद 17 मार्च, 2020 को स्वास्थ्य मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त हुई।

#2019-20 के लिए :पीआरसी, उदयपुर से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट- एक

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2020-2021) की 20.07.2021 को हुई आठवीं बैठक के कार्य वाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक मंगलवार, 20 जुलाई, 2021 को 1500 बजे से 1600 बजे तक समिति कमरा सं. "01", संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री रितेश पांडेय - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
6. श्री एस. रामलिंगम
7. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) तथा जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविदयालय), उदयपुर के प्रतिनिधि

1. श्री राजेश भूषण - सचिव
2. श्रीमती संध्या कृष्णामूर्ति - डीजी (सांख्यिकी)
3. श्री डी. के. ओझा - डीडीजी (सांख्यिकी)
4. प्रो. सीमा जालान - मानद निदेशक, पीआरसी, उदयपुर

2.सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और बैठक बुलाने के प्रयोजन को स्पष्ट किया।

3-6. X X X X X

7. तत्पश्चात, समिति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) से संबंधित पीआरसी, उदयपुर के वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले को विचारार्थ लिया।

तत्पश्चात, समिति ने पीआरसी, उदयपुर के वर्ष 2015-16 से 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में मौखिक साक्ष्य लेने हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) और जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर के प्रतिनिधियों को एक साथ अंदर बुलाया।

8. सभापति ने मंत्रालय तथा पीआरसी, उदयपुर के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया और बैठक बुलाए जाने का प्रयोजन बताया। सभापति ने कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंध के बारे में साक्षियों को बताया।

9. सर्वप्रथम, प्रतिनिधियों ने जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, उदयपुर के बारे में संक्षिप्त पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति दी। तत्पश्चात, सभापति ने मंत्रालय/पीआरसी, उदयपुर से पीआरसी, उदयपुर के वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों के बारे में पूछा। समिति के सदस्य श्री सप्तगिरी शंकर उलाका और डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क ने पूछा कि इस विलंब के लिए मंत्रालय उत्तरदायी है या पीआरसी। श्री सप्तगिरी शंकर उलाका ने आगामी वर्ष के दौरान दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखने को सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में भी जानना चाहा और यह राय दी कि मंत्रालय को इस संबंध में और सक्रिय होना चाहिए।

मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे जिम्मेदारी लेते हैं और उन्होंने समिति को आश्वस्त भी किया कि वार्षिक प्रतिवेदनों को समय से प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

समिति ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के बजाय निजी लेखापरीक्षकों द्वारा पीआरसी, उदयपुर के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के मुद्दे के बारे में भी पूछा। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि पीआरसी, उदयपुर की लेखापरीक्षा सर्वप्रथम विश्वविद्यालय (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय) के चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा की गई और इसके बाद पुनः मंत्रालय स्तर पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षकों द्वारा की गई।

मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि पीआरसी, उदयपुर में जनशक्ति की कमी; चार्टर्ड अकाउंटेटों से उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्राप्ति में विलंब; उक्त उपयोगिता प्रमाणपत्रों में दी गई गणनाओं में अनेक त्रुटियों का पाया जाना विलंब के मुख्य कारण थे। पीआरसी, उदयपुर के प्रतिनिधियों ने अपने स्तर पर हुए विलंब के लिए माफी मांगी और समिति को यह आश्वासन दिया कि भविष्य में कोई विलंब नहीं होगा और वे सारी समय-सीमाओं का अनुपालन करेंगे।

मंत्रालय/पीआरसी, उदयपुर के प्रतिनिधियों ने समिति के आश्वासन दिया कि पीआरसी, उदयपुर के वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखाओं को संसद के चालू सत्र के दौरान सभा पटल पर रखा जाएगा और वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखाओं को दिसंबर,2021 तक प्रस्तुत किया जाएगा।

सभापति ने यह सुझाव भी दिया कि मंत्रालय के पास एक पोर्टल होना चाहिए जिसमें लेखाओं संबंधी वास्तविक समय आधारित जानकारी सृजित की जा सके अर्थात वे धन का उपयोग कब करते हैं और मंत्रालय इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न समय-सीमाओं की नियमित आधार पर निगरानी भी कर सकेगा और इसके माध्यम से स्वतः ही अनुस्मारक भी भेजे जा सकेंगे।

माननीय सभापति और श्री सप्तगिरी शंकर उलाका दोनों ने संस्थान में स्टाफ रखे जाने पर खर्च की जा रही राशि के बारे में पूछा, इस बारे में वे मंत्रालय/संस्थान द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए, प्रतिनिधियों ने कहा कि बैठक के बाद वे अद्यतन जानकारी भेजेंगे।

10. अंत में, सभापति ने मंत्रालय/पीआरसी, उदयपुर को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि सभी आवश्यक दस्तावेजों को समय-सीमा के भीतर संसद के समक्ष रखा जाए। तत्पश्चात, माननीय सभापति ने विषय की जांच के संबंध में हुई उपयोगी चर्चा के लिए मंत्रालय तथा पीआरसी, उदयपुर के प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया।

तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट- दो

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समति (2021-2022) की 06.12.2021 को हुई दूसरी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक, **सोमवार**, 06 **दिसंबर**, 2021 को 15:00 बजे से 16:30 बजे तक समिति कक्ष '**ग**', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री रितेश पांडेय - सभापति

सदस्य

2. डॉ शफीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लव लोचन दास
5. चौधरी अली केसर महबूब
6. श्री टी.एन. प्रथापन
7. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
8. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री मुनीष कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक
3. श्रीमती मनजिंदर पब्बी - अवर सचिव

X X X X X

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें इस बैठक की कार्यसूची से संक्षेप में अवगत कराया।

X X X X X

3. तत्पश्चात्, समिति ने **वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित निम्नलिखित ग्यारह** (11) प्रारूप **प्रतिवेदनों** को विचार करने के लिए लिया :-

(एक) **X** **X** **X** **X**;

(दो) **X** **X** **X** **X**;

(तीन) **X** **X** **X** **X**;

(चार) **X** **X** **X** **X**;

(पाँच) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर;

(छः) X X X X;

(सात) **X** **X** **X** **X**;

(आठ) **X** **X** **X** **X**;

(नौ) **X** **X** **X** **X**;

(दस) **X** **X** **X** **X**; और

(ग्यारह)**X** **X** **X** **X**।

4. चर्चा करने के उपरांत, समिति ने बिना किसी संशोधन के **सभी** प्रारूप **प्रतिवेदनों** को स्वीकार किया।

5. समिति ने **इन प्रतिवेदनों** को संसद में प्रस्तुत करने हेतु माननीय सभापति को प्राधिकृत किया।

X **X** **X** **X** **X**

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।